भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1763

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानें

1763. श्रीमती माला राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 30.06.2025 तक देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उचित मूल्य की दुकान के मालिक को अपनी सेवाओं के लिए सरकार से कमीशन मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, देश में 5.43 लाख उचित दर दुकानें (एफपीएस) हैं। एफपीएस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों की कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित प्रचालनात्मक संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2015 के खंड 9 के उप-खंड (7) के अनुसार राज्य सरकार उचित दर दुकान के मालिकों को मार्जिन के रूप में एक राशि निर्धारित करेगी, जिसकी समीक्षा उचित दर दुकान के प्रचालनों की स्थायी व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप में की जाएगी। खंड 9 के उप खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार, उचित दर दुकान के प्रचालनों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए उचित दर दुकानों पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करेगी। उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन/कमीशन/मानदेय आदि की वास्तविक दर निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

...2/-

केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ व्यय के मानदंडों और केंद्रीय हिस्सेदारी की पद्धति का प्रावधान करते हैं, एनएफएसए के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और हैंडलिंग एवं उचित दर दुकान डीलरों के मार्जिन के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल 2022 से एफपीएस डीलरों के मार्जिन के मानदंडों को बढ़ाया गया था, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य की श्रेणी	एफपीएस मार्जिन का घटक	पूर्व-संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में)	संशोधित मानदंड (दर रुपये प्रति क्विंटल में)
सामान्य श्रेणी के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एफपीएस डीलर मार्जिन	70	90
	अतिरिक्त मार्जिन	17	21
विशेष श्रेणी के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	एफपीएस डीलर मार्जिन	143	180
	अतिरिक्त मार्जिन	17	26

राज्य सरकारें वास्तविक दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों से अधिक हो सकती हैं। केंद्रीय सहायता, नियमों में विनिर्दिष्ट दरों या पूरे राज्य के लिए वास्तविक औसत दरों, जिस पर राज्य सरकार द्वारा वास्तव में व्यय किया गया था, जो भी कम हों, तक सीमित होगी।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 30.07.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1763 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

उचित दर दुकानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उचित दर दुकान
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	416
2	आंध्र प्रदेश	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	1,680
4	असम	34,300
5	बिहार	50,951
6	चंडीगढ़	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ	13,675
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	114
9	दिल्ली	1,993
10	गोवा	452
11	गुजरात	16,949
12	हरियाणा	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	5,219
14	जम्मू एवं कश्मीर	6,737
15	झारखंड	25,228
16	कर्नाटक	20,403
17	केरल	13,913
18	लद्दाख	404
19	लक्षद्वीप	39
20	मध्य प्रदेश	27,377
21	महाराष्ट्र	52,642
22	मणिपुर	2,339
23	मेघालय	4,735
24	मिजोरम	1,258
25	नगालैंड	1,783
26	ओडिशा	12,044
27	पुडुचेरी	लागू नहीं
28	पंजाब	18,150
29	राजस्थान	27,062
30	सिक्किम	1,312
31	तमिलनाडु	34,805
32	तेलंगाना	17,246
33	त्रिपुरा	2,057
34	उत्तराखंड	9,059
35	उत्तर प्रदेश	79,216
36	पश्चिम बंगाल	20,476
	कुल	**5,43,259**
